राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 67/2012/जयपुर.

मैसर्स पी.एच.आई. सीड्स लिमिटेड,
जी–842, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ई, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 71/अपील्स–तृतीय/11–12/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.10.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ई, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 'एफ' फॉर्म के समर्थन से रूपये 24,55,780/– के मस्टर्ड रॉ सीड्स अपने मुख्यालय को स्टॉक ट्रांसफर करना बताया गया, जिसमें से रूपये 5,83,100/– के 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत किये गये तथा शेष राशि रूपये 18,66,680/– के 'एफ' फॉर्म की प्रतिपर्ण (Counterfoil) की फोटोप्रति पेश की गयी, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए मूल प्रति के अभाव में अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 74,667/– एवं उक्त राशि अदेय रहने के कारण ब्याज रूपये 63,783/– का आरोपण आदेश दिनांक 11.06.2010 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विवादित माल स्वयं की कृषि भूमि में एवं किसानों से लीज एग्रीमेंट निष्पादित किया जाकर उत्पादित किया गया है एवं अपने मुख्यालय को प्रोसेसिंग हेतु स्टॉक ट्रांसफर के तहत भिजवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लीज एग्रीमेंट से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें बिना किसी आधार के अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं के कृषि उत्पाद को अपंजीकृत खरीद मानते हुए तद्नुसार कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वन अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि 'एफ' फॉर्म की मूल प्रतियों के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित माल व्यवहारी द्वारा स्वयं की कृषि भूमि से उत्पन्न किया गया हो अथवा किसानों से तैयार करवाया गया हो। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि व्यवहारी द्वारा अपने मुख्यालय को भिजवाये गये माल से सम्बन्धित 'एफ' फॉर्म की मूल प्रति के स्थान पर प्रतिपर्ण (Counterfoil) की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी व्यवहारी द्वारा मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी, ना ही अपीलीय अधिकारी के समक्ष एवं ना ही कर बोर्ड के समक्ष उक्त प्रपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत पाये जाते हैं।

7. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी प्रार्थना–पत्र में यह बिन्दु भी विवादित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जो माल अपने मुख्यालय को स्टॉक ट्रांसफर के तहत भिजवाया जाना बताया गया है वह स्वयं द्वारा अपनी कृषि भूमि में उत्पादित किया गया है एवं किसानों से एग्रीमेंट तैयार करवाया

लगातार.....3

गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि विवादित माल व्यवहारी द्वारा स्वयं द्वारा उत्पादित किया गया है अथवा किसानों से जरिये एग्रीमेंट उत्पादित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह तर्क साक्ष्यों से समर्थित नहीं होने से स्वीकार्य नहीं है एवं अपीलार्थी का यह कथन खारिज किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 03.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष